

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या : 440-कार्य / चौदह-पाकालि / 2008-3-के / 2000

दिनांक: जून 04 ,2008

कार्यालय-ज्ञाप

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप संख्या 429-कार्य-चौदह/पाकालि/2008-3-के/2000 दिनांक अप्रैल 19, 2008 द्वारा उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, विद्युत वितरण निगम लि० मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/केस्को को प्रदत्त क्रय/कार्य समितियों को प्रदत्त वित्तीय अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया गया था। उक्त के अनुक्रम में निगमों के अन्तर्गत वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्नवत् दिशा निर्देश दिये जाते हैं :-

- (1) संदर्भित कार्यालय ज्ञाप में उल्लिखित क्रय/कार्य समितियों को प्रस्तुत किये जाने वाले निविदा प्रस्ताव में यह उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा कि जो क्रय/कार्य प्रस्तावित किये गये हैं, वे सम्बन्धित निगम के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित आय/व्ययक (बजट) में निहित प्राविधानों तथा धन आवंटन की सीमा के अंतर्गत हैं।
- (2) निविदा प्रस्ताव में यह भी उल्लिखित किया जाना आवश्यक होगा कि प्रस्तावित क्रय/कार्य के पूर्व उक्त मद में बजट प्राविधान/धन आवंटन के विरुद्ध कितनी धनराशि के दायित्व सृजित किये जा चुके हैं।
- (3) उक्त क्रय प्रस्ताव आगामी छः माह की अधिकतम सीमा तक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही प्रस्तुत किये जायें।
- (4) क्रय/कार्य हेतु प्रदत्त समस्त वित्तीय अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी, बजट प्राविधान/धन आवंटन तथा सृजित दायित्वों को दृष्टिगत रखते हुए ही प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उक्त अनुमोदन समस्त क्रय/कार्य हेतु तत्सम्बन्धी मद में प्राविधानित, निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित बजट धनराशि तथा धन आवंटन, जो भी कम है, की सीमा के अन्दर है।
- (5) विशेष परिस्थितियों में यदि कोई भी क्रय/कार्य की आवश्यकता अपरिहार्य हो, जो कि बजट में प्राविधानित नहीं है अथवा निर्धारित बजटीय सीमा से अधिक है, तो उसके लिए सर्वप्रथम बजट में प्राविधान करके निदेशक मण्डल से अनुमोदन एवं तदनुसार धन आवंटन की कार्यवाही कराने के बाद ही क्रय/कार्य प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायें।

अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या :441-कार्य/चौदह-पाकालि/2008-3-के/2000

दिनांक: जून 04 ,2008

कार्यालय-ज्ञाप

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1006-कार्य-चौदह/पाकालि/2002-3-के/2000 दिनांक 17.11.2005 एवं पूर्व में निर्गत सभी आदेशों का अतिक्रमण करते हुए भण्डार सामग्री के क्रय/कार्य के निष्पादन हेतु कारपोरेट भण्डार क्रय/कार्य समिति का अगले आदेशों तक एतद्वारा निम्नवत गठन कर वित्तीय अधिकार प्रदान किये जाते हैं :-

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की कारपोरेट भण्डार क्रय/कार्य समिति

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 | - | अध्यक्ष |
| 2. समस्त पूर्णकालिक निदेशक | - | सदस्य |
| 3. प्रमुख सचिव (वित्त), उ0 प्र0 शासन अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव(वित्त) या उससे उच्च स्तर का अधिकारी | - | सदस्य |
| 4. प्रबन्ध निदेशक, संबंधित विद्युत वितरण निगम लि0 (सामग्री के क्रय/कार्य का प्रकरण जिस वितरण निगम से संबंधित है) एवं सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम के पूर्णकालिक निदेशक | - | सदस्य |

उपरोक्त समिति का कोरम :-

- (1) प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
- (2) निदेशक (वितरण) उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 अथवा उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 का पूर्णकालिक निदेशक जो मुख्यालय पर उपलब्ध हो
- (3) प्रबन्ध निदेशक, सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम लि0
- (4) निदेशक (वित्त), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
- (5) प्रमुख सचिव (वित्त), उ0 प्र0 शासन अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव(वित्त) या उससे उच्च स्तर का अधिकारी

उपरोक्त समिति के वित्तीय अधिकार :- रू0 10 करोड़ से अधिक समस्त मामले

अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या : 442-कार्य/चौदह-पाकालि/2008-3-के/2000

दिनांक: जून 04, 2008

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्वारा उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2166-कार्य चौदह/पाकालि/ 2007-3-के/2000 दिनांक 22.9.2007 का अतिक्रमण करते हुए पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ की कारपोरेट भण्डार क्य/कार्य समिति का निम्नवत् पुनर्गठन कर वित्तीय अधिकार प्रदान किये जाते हैं :-

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० की कारपोरेट भण्डार क्य/कार्य समिति

- (1) प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० - अध्यक्ष
- (2) निदेशक (वित्त), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० - सदस्य
- (3) निदेशक (तकनीकी), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०- सदस्य
- (4) मुख्य अभियन्ता (सामग्री क्य/कार्य का प्रकरण जिससे सम्बन्धित हो) - सदस्य

उपरोक्त समिति का कोरम

- (1) प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०
- (2) निदेशक (वित्त), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०
- (3) निदेशक (तकनीकी), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०
- (4) मुख्य अभियन्ता (सामग्री क्य/कार्य का प्रकरण जिससे सम्बन्धित हो)।

उपरोक्त समिति के वित्तीय अधिकार

रूपया एक करोड़ से अधिक और अधिकतम रूपये दस करोड़ तक।

शर्तें

- (1) निदेशक (वित्त) के तैनात न होने पर पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० के मुख्यालय पर तैनात मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त/ महाप्रबन्धक, (वित्त) सदस्य के रूप में प्राधिकृत होंगे।
- (2) निदेशक (तकनीकी) के तैनात न होने पर प्रबन्ध निदेशक द्वारा नामित पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० के मुख्यालय पर तैनात मुख्य अभियन्ता (स्तर- I/ II) सदस्य के रूप में प्राधिकृत होंगे।

अध्यक्ष

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 कार्यहित में उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2167-कार्य-चौदह/पाकालि/ 2007-3-के/2000 दिनांक 22.9.2007 का अतिक्रमण करते हुए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी की कारपोरेट भण्डार क्रय/कार्य समिति का निम्नवत् पुनर्गठन कर वित्तीय अधिकार प्रदान किये जाते हैं :-

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 की कारपोरेट भण्डार क्रय/कार्य समिति

- (1) प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 - अध्यक्ष
- (2) निदेशक (वित्त), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 - सदस्य
- (3) निदेशक (तकनीकी), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 - सदस्य
- (4) मुख्य अभियन्ता (सामग्री क्रय/कार्य का प्रकरण जिससे सम्बन्धित हो) - सदस्य

उपरोक्त समिति का कोरम

- (1) प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल-विद्युत वितरण निगम लि0
- (2) निदेशक (वित्त), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0
- (3) निदेशक (तकनीकी), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0
- (4) मुख्य अभियन्ता (सामग्री क्रय/कार्य का प्रकरण जिससे सम्बन्धित हो)।

उपरोक्त समिति के वित्तीय अधिकार

रूपया एक करोड़ से अधिक और अधिकतम रूपये दस करोड़ तक।

शर्तें

- (1) निदेशक (वित्त) के तैनात न होने पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के मुख्यालय पर तैनात मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त/ महाप्रबन्धक (वित्त) सदस्य के रूप में प्राधिकृत होंगे।
- (2) निदेशक (तकनीकी) के तैनात न होने पर प्रबन्ध निदेशक द्वारा नामित पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के मुख्यालय पर तैनात मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/ II) सदस्य के रूप में प्राधिकृत होंगे।

अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या :444 -कार्य/चौदह-पाकालि/2008-3-के/2000

दिनांक: जून 04 ,2008

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 कार्यहित में उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2170-कार्य-चौदह/पाकालि/ 2007-3-के/2000 दिनांक 22.9.2007 का अतिक्रमण करते हुए दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा की कारपोरेट भण्डार क्य/कार्य समिति का निम्नवत् पुनर्गठन कर वित्तीय अधिकार प्रदान किये जाते हैं :-

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 की कारपोरेट भण्डार क्य/कार्य समिति

- (1) प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 - अध्यक्ष
- (2) निदेशक (वित्त), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 - सदस्य
- (3) निदेशक (तकनीकी), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 - सदस्य
- (4) मुख्य अभियन्ता (सामग्री क्य/कार्य का प्रकरण जिससे सम्बन्धित हो)- सदस्य

(6.2) **उपरोक्त समिति का कोरम**

- (1) प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0
- (2) निदेशक (वित्त), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0
- (3) निदेशक (तकनीकी), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0
- (4) मुख्य अभियन्ता (सामग्री क्य/कार्य का प्रकरण जिससे सम्बन्धित हो)।

(6.3) **उपरोक्त समिति के वित्तीय अधिकार**

रूपया एक करोड़ से अधिक और अधिकतम रूपये दस करोड़ तक।

(6.4) **शर्तें**

- (1) निदेशक (वित्त) के तैनात न होने पर दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के मुख्यालय पर तैनात मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त/ महाप्रबन्धक (वित्त) सदस्य के रूप में प्राधिकृत होंगे।
- (2) निदेशक (तकनीकी) के तैनात न होने पर प्रबन्ध निदेशक द्वारा नामित दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के मुख्यालय पर तैनात मुख्य अभियन्ता (स्तर- I/ II) सदस्य के रूप में प्राधिकृत होंगे।

अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या : 445-कार्य/चौदह-पाकालि/2008-3-के/2000

दिनांक:जून 04 ,2008

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्वारा उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2168-कार्य-चौदह/पाकालि/ 2007-3-के/2000 दिनांक 22.9.2007 का अतिक्रमण करते हुए मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ की कारपोरेट भण्डार क्य/कार्य समिति का निम्नवत् पुनर्गठन कर वित्तीय अधिकार प्रदान किये जाते हैं :-

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि० की कारपोरेट भण्डार क्य/कार्य समिति

- (1) प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि० — अध्यक्ष
- (2) निदेशक (वित्त), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि० — सदस्य
- (3) निदेशक (तकनीकी), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि० — सदस्य
- (4) मुख्य अभियन्ता (सामग्री क्य/कार्य का प्रकरण जिससे सम्बन्धित हो)- सदस्य

उपरोक्त समिति का कोरम

- (1) प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०
- (2) निदेशक (वित्त), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०
- (3) निदेशक (तकनीकी), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०
- (4) मुख्य अभियन्ता (सामग्री क्य/कार्य का प्रकरण जिससे सम्बन्धित हो)।

उपरोक्त समिति के वित्तीय अधिकार

रूपया एक करोड़ से अधिक और अधिकतम रूपये दस करोड़ तक।

शर्तें

- (1) निदेशक (वित्त) के तैनात न होने पर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि० के मुख्यालय पर तैनात मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त/ महाप्रबन्धक (वित्त) सदस्य के रूप में प्राधिकृत होंगे।
- (2) निदेशक (तकनीकी) के तैनात न होने पर प्रबन्ध निदेशक द्वारा नामित मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि० के मुख्यालय पर तैनात मुख्य अभियन्ता (स्तर- I/ II) सदस्य के रूप में प्राधिकृत होंगे।

अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या :446 -कार्य/चौदह-पाकालि/2008-3-के/2000

दिनांक: जून 04 ,2008

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्वारा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० कार्यहित में एतद्वारा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० कार्यहित में उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2169-कार्य-चौदह/पाकालि/2007-3-के/2000 दिनांक 22.9.2007 का अतिक्रमण करते हुए केस्को लि०, कानपुर की कारपोरेट भण्डार कय/कार्य समिति का निम्नवत् पुनर्गठन कर वित्तीय अधिकार प्रदान किये जाते हैं :-

केस्को की कारपोरेट भण्डार कय/कार्य समिति

- | | |
|---|-----------|
| (1) प्रबन्ध निदेशक, केस्को | - अध्यक्ष |
| (2) निदेशक (वित्त), केस्को | - सदस्य |
| (3) निदेशक (तकनीकी), केस्को | - सदस्य |
| (4) मुख्य अभियन्ता (सामग्री कय/कार्य) अथवा प्रबन्ध निदेशक द्वारा नामित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2) का अधिकारी। | - सदस्य |

उपरोक्त समिति का कोरम

- (1) प्रबन्ध निदेशक, केस्को
- (2) निदेशक (वित्त), केस्को
- (3) निदेशक (तकनीकी), केस्को
- (4) मुख्य अभियन्ता (सामग्री कय/कार्य) अथवा प्रबन्ध निदेशक केस्को द्वारा नामित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2) का अधिकारी।

उपरोक्त समिति के वित्तीय अधिकार

रूपया एक करोड़ से अधिक और अधिकतम रूपये दस करोड़ तक।

शर्तें

- (1) निदेशक (वित्त) के तैनात न होने पर उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० मुख्यालय द्वारा लेखा शाखा के नामित मुख्य महाप्रबन्धक सदस्य के रूप में प्राधिकृत होंगे।
- (2) निदेशक (तकनीकी) के तैनात न होने पर प्रबन्ध निदेशक, केस्को द्वारा नामित मुख्यालय पर तैनात मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/1) सदस्य के रूप में प्राधिकृत होंगे।

अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या : 447-कार्य/चौदह-पाकालि/2008-3-के/2000

दिनांक: जून 04, 2008

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्वारा उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० की कारपोरेट भण्डार कय/कार्य समिति का निम्नवत् पुनर्गठन कर वित्तीय अधिकार प्रदान किये जाते हैं :-

उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० की कारपोरेट भण्डार कय/कार्य समिति

- | | | |
|--|---|---------|
| (1) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० | - | अध्यक्ष |
| (2) निदेशक (पारेषण), उ०प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०- | | सदस्य |
| (3) निदेशक (वित्त), उ०प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० | - | सदस्य |
| (4) प्रमुख सचिव (वित्त), उ० प्र० शासन अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव(वित्त)या उससे उच्च स्तर का अधिकारी | - | सदस्य |
| (5) मुख्य अभियन्ता (पारेषण), अथवा क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता (पारेषण) -कय /कार्य का प्रकरण जिससे संबंधित हो। | - | सदस्य |

उपरोक्त समिति का कोरम

- (1) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०
- (2) निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०
- (3) निदेशक (पारेषण) उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०
- (4) प्रमुख सचिव (वित्त), उ० प्र० शासन अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव(वित्त)या उससे उच्च स्तर का अधिकारी
- (5) मुख्य अभियन्ता (पारेषण), अथवा क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता (पारेषण) - कय/ कार्य का प्रकरण जिससे संबंधित हो।

उपरोक्त समिति के वित्तीय अधिकार

रूपया पांच करोड़ से अधिक समस्त मामले।

अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या : 448-कार्य / चौदह-पाकालि / 2008-3-के / 2000

दिनांक: जून 04, 2008

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्वारा उ०प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० की निदेशक भण्डार कय/कार्य समिति का निम्नवत् पुनर्गठन कर वित्तीय अधिकार प्रदान किये जाते हैं :-

उ०प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० की निदेशक भण्डार कय/कार्य समिति

- | | | |
|---|---|---------|
| (1) निदेशक (पारेषण), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० | - | अध्यक्ष |
| (2) निदेशक(वित्त), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० द्वारा नामित मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त) / महाप्रबन्धक (वित्त) | - | सदस्य |
| (3) प्रमुख सचिव (वित्त), उ० प्र० शासन अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव(वित्त)या उससे उच्च स्तर का अधिकारी | - | सदस्य |
| (4) मुख्य अभियन्ता (पारेषण) / क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता (पारेषण) प्रकरण जिससे संबंधित हो। | - | सदस्य |

उपरोक्त समिति का कोरम

- (1) निदेशक (पारेषण), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०
- (2) निदेशक(वित्त), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० द्वारा नामित लेखा शाखा के मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक
- (3) प्रमुख सचिव (वित्त), उ० प्र० शासन अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव(वित्त)या उससे उच्च स्तर का अधिकारी
- (4) मुख्य अभियन्ता (पारेषण) / क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता (पारेषण) -कय/कार्य का प्रकरण जिससे संबंधित हो।

उपरोक्त समिति के वित्तीय अधिकार

रूपया पचास लाख से अधिक रू० पांच करोड़ तक।

अध्यक्ष


संख्या: 448(1)-कार्य-चौदह/पाकालि/2008 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव(ऊर्जा/वित्त)/विशेष सचिव (वित्त), उ० प्र० शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष से सम्बद्ध प्रमुख निजी सचिव, उ० प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

3. प्रबन्ध निदेशक से सम्बद्ध निजी सचिव, उ० प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।
4. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०, मध्यांचल / पूर्वांचल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल / लखनऊ / वाराणसी / आगरा / मेरठ / ट्रांस्को-लखनऊ / केस्को-कानपुर ।
5. समस्त निदेशकगण (का०प्र० एवं प्रशा०) / वितरण / पारेषण / वित्त, उ०प्र०पा०का०लि० शक्ति भवन, लखनऊ ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण / पारेषण) उ०प्र०पा०का०लि० ।
7. मुख्य अभियन्ता (सामग्री प्रबन्ध) / मुख्य अभियन्ता-स्तर-1 (प्रशि० एवं मा०सं०वि) उ०प्र०पा०का०लि० ।
8. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं वित्त), उ०प्र०पा०का०लि० ।
9. समस्त मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, उ०प्र०पा०का०लि० ।
10. मुख्य महाप्रबन्धक(का०प्र०- I / II) / महाप्रबन्धक- III, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।
11. समस्त उपमहाप्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।
12. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पा०का०लि० ।
13. वरिष्ठ उपमहालेखाकार(आडिट-2), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
14. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र०पा०का०लि० ।
15. समस्त मुख्य लेखाधिकारी / लेखाधिकारी / उपमुख्य लेखाधिकारी, उ०प्र०पा०का०लि० ।
16. कम्पनी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि० शक्ति भवन, लखनऊ ।
17. कम्पनी सचिव, ट्रांस्को, लखनऊ ।

आज्ञा से,



(शैलेन्द्र कुमार) 4/6/08
उपमहाप्रबन्धक(कार्य)